समाहरणालय, औरंगाबाद
(जिला प्रोग्राम शाखा)

I.C.D.S

मिशन शक्ति उपयोजना सामर्थ्य अन्तर्गत क्रेच हेतु रिक्त पदों पर नियोजन हेतू विज्ञापन

विज्ञापन संख्या–क्रेच –01/2025

निदेशक आई.सी.डी.एस. के पत्रांक 1700, दिनांक–06.03.2024 के आलोक में क्रेच के संचालन हेतु नगरपरिषद, औरंगाबाद वार्ड नं0 03 (सतेन्द्रनगर) में स्वीकृत पदो के विरूद्व संविदा आधारित नियोजन हेतु सुयोग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है:–

क्र0	पद का नाम	पद की संख्या	योग्यता/अर्हता	मासिक मानदेय	अभियुक्ति
1	क्रेच वर्कर	01	इंटरमीडिएट	5500	न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष
2	क्रेच हेल्पर	01	मैट्रिक	3000	न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष

1. उपरोक्त पद महिला हेतु आरक्षित होगें।
2. क्रेच वर्कर/हेल्पर हेतु पदवार समर्पित आवेदनों में सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थी का चयन क्रेच वर्कर/हेल्पर पर किया जाएगा।
3. दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों की सर्वोच्च शैक्षणिक योग्यता समान रहने पर, अधिक मेघा अंक भी समान रहने पर उनमें अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी का चयन क्रेच वर्कर/हेल्पर पद पर किया जायेगा।
4. क्रेच हेल्पर के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक अथवा समकक्ष (अतिरिक्त विषयों को छोडकर) उर्तीण होना आवश्यक होगा। उपरोक्त योग्यता की योग्य आवेदिका के नही मिलने पर जिला द्वारा योग्यता संबंधी छूट दी जा सकती है, लेकिन किसी भी परिस्थिति में क्रेच वर्कर के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण एवं हेल्पर के लिए आठवीं उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। चयन के पश्चात् कर्मियों को बच्चों की देखभाल संबंधी प्रशिक्षण दिया जायेगा।
5. ऑगनबाड़ी क्रेच वर्कर/हेल्पर इस योजना के लागू रहने तक कार्य कर सकेंगी, जिसके पश्चात् वह स्वतः सेवा मुक्त हो जायेंगी।
6. ऑगनबाड़ी केन्द्र वर्कर/हेल्पर चयन हेतु संबंधित वार्ड का निवासी होना आवश्यक होगा।
7. ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हे किसी न्यायालय से दण्डित किया गया हो अथवा किसी प्रकार के अनियमितता के आरोप में चयनमुक्त कर दिया गया हो, ऑगनबाड़ी क्रेच वर्कर/हेल्पर के पद पर चयन के लिए अर्हता धारित नहीं करेंगें।
8. सभी नियुक्तियाँ मानदेय आधार पर किया जायेगा तथा नियुक्त कर्मियों को समेकित पारिश्रमिक का भुगतान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सीमा तक सीमित रहेगा
9. कार्यरत कर्मियों के समेकित पारिश्रमिक का भुगतान सीधे उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
10. क्रेच के लिए नियुक्त कर्मी पूर्ण रूपेण क्रेच के कार्यो के प्रति प्रतिबद्व रहेंगें तथा उनकी सेवा का उपयोग अन्य कार्य में नहीं लिया जायेगा।

नियोजन के समय उपलब्ध करायी सूचनाओं के गलत पाये जाने कि स्थिति में नियोजन समाप्त कर दिया जायेगा।

कर्मियों के लिए निर्धारित समेकित पारिश्रमिक ही उन्हे देय होगा, इसके अतिरिक्त कर्मी अन्य किसी भी प्रकार के लाभ एवं सुविधा के हकदार नहीं होंगें।

13. सभी कार्यदिवसों एवं अवकाश की तिथि को कार्यालय खुलने की स्थिति में क्रेच की सेवाएँ उपलबध कराने की जिम्मेवारी कर्मियों की संयुक्त रूप से होगी।

14. सरकारी अवकाश में क्रेच बंद होने के अतिरिक्त कर्मियों को अन्य किसी भी प्रकार का कोई अवकाश देय नहीं होगा।

15. आवेदन प्राप्ति दिनांक–03.10.2025 से 19.10.2025 तक किया जायेगा।

16. आवेदन बाल विकास परियोजना, सदर औरंगाबाद के **Email-ID- cdpoaurangabad6@gmail.com** पर सॉफ्ट कॉपी भेजते हुए Hard Copy निबंधित डाक के माध्यम से बाल विकास परियोजना कार्यालय, औरंगाबाद सदर, औरंगाबाद,(बिहार) पिन कोड–824101 के पते पर भेजना सुनिश्चित करें।

17. भरे हुए आवेदन का प्रिंट आउट अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखेंगें तथा मांगे जाने पर चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

18. अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित अपडेट अन्य घोषणाओं हेतु **बेबसाईट– http://Aurangabad.bih.nic.in/** का अवलोकन करते रहेंगे।

विश्वासभाजन

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।